Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना भट्टाबस्ती का रीडर (हैड कानिस्टेबल) एवं एक अन्य हैड कानिस्टेबल 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 अक्टूबर, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये संजय कुमार रीडर, थानाधिकारी भट्टाबस्ती (हैड कानिस्टेबल) एवं बुदधाराम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में संजय कुमार रीडर, थानाधिकारी भट्टाबस्ती (हैड कानिस्टेबल) एवं बुदधाराम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी भट्टाबस्ती के नाम पर **60 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर ग्रामीण इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज भारद्वाज** एवं उनकी टीम जयपुर ग्रामीण द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये संजय कुमार पुत्र स्व. श्री लोकचंद निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर–ए, सीतावाली फाटक, बैनाड़ रोड़, मुरलीपुरा, जयपुर हाल रीडर, थानाधिकारी भट्टाबस्ती (हैड कानिस्टेबल) एवं बुदधाराम पुत्र स्व. श्री रामजीलाल निवासी 39–ए, अशोक वाटिका, जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना भट्टाबस्ती, जयपुर शहर उत्तर, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में थानाधिकारी की भूमिका की जाँच की जा रही है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।